न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 42/2024 निर्णय दिनांकः–19-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/332)

1. अरूणकुमार पुत्र श्री कृष्ण जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा हाल चक 5 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. आनन्द पुत्र राधाकिशन जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा हाल चक 5 एसजेएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2024
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2024 जिसके द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को कानून के विपरीत जाकर रकबाराज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि तहसील खाजुवाला के चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 78/39 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 तादादी 0.9737 हेक्टर भूमि अपीलांट् संख्या 1 व चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 78/39 के किला नम्बर 7, 14, 17, 24 तादादी 0.9737 हेक्टर भूमि अपीलांट्स संख्या 2 के नाम खातेदारी भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर मौके पर अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार का कोई खनन कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से प्रदान कर दिये गये है। अदालत मातहत आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है। जबकि उल्लेखनीय यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत वादपत्र पेश किया गया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार वादप्रकिया को अपनाते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का मात्र सरसरी तौर पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य आधार संबंधित पटवारी हल्का का रिपोर्ट दिनांक 23–03–2018 को लिया गया है। जबकि उक्त रिपोर्ट एकतरफा तौर पर तैयार की गई है पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट स्वमेव विरोधाभासी है क्योंकि उक्त रिपोर्ट के विषय में बीआरडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/39 के बाबत् रिपोर्ट प्रेषित करने का उल्लेख होने के उपरान्त विस्तृत रिपोर्ट में चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 78/39 के बाबत् रिपोर्ट अभिलिखित की गई है। ऐसीस्थिति में उक्त रिपोर्ट किस चक के संबंधित है, उक्त आशय के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच की गई हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट में मात्र किला नम्बर 14 व 15 में अवैध खनन का अंकन है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अपीलांट् की समस्त भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान करते हुए अपीलांट्स के विधिक अधिकारों का हनन किया गया है। अदालत मातहत को दावे में तनकियांत कायम कर साक्ष्य लेने चाहिए थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की प्रक्रिया के विरुद्व वाद का निस्तारण किया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा मौके पर कभी भी अकृषि का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत उक्त स्थिति के विपरीत जाकर पटवारी हल्का की विरोधाभासी रिपोर्ट जिसमें अभिलिखित है कि मौके पर दो बीघा पर अवैद्य अकृषि कार्य किया गया है को आधार बनाते हुए शेष भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट की कतई जॉच नहीं की गई है कि क्या उक्त रिपोर्ट सही रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं? इस प्रकार अदालत मातहत की अपीलांट्स के विरूद्व की गई कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदारी भूमि में अवैध ईंट भट्टा लगाने का कार्य करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट्स द्वारा अपनी कृषि भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के अकृषि कार्य अर्थात अवैध ईंट भट्टे का कार्य किया गया है। अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुॅचाने वाला कार्य है। अपीलांट्स का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष तहसीलदार राजस्व ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, खाजुवाला द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को आवंटित की गई थी, उक्त भूमि पर अपीलांट्स द्वारा अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य ईंट भट्टे का कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य पक्ष का वादपत्र स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए का मुख्य आधार पटवारी हल्का की रिपोर्ट रही है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 23—03—2018 का अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट के विषय में ईंट भट्टा चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/39 के बाबत् रिपोर्ट प्रेषित किया जाना अंकित किया गया है, जिसमें कांट—छांट करते हुए चक 5 एसजेएम के मुरब्बा नम्बर 78/39 अंकित किया गया है। इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट की अंतिम पंक्ति में मुरब्बा नम्बर 78/39 में किला नम्बर 14 जा 15 2 किलों में ईंट भट्टा लगा हुआ अंकित है तथा शेष अन्य भूमि भट्टे के कार्य हेतु उपयोग में लिये जाने का अंकन है।

(3) प्रकरण में यदि पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित अभिकथन को आधार बना भी लिया जावे तब भी उक्त रिपोर्ट में मुरब्बा नम्बर 78/39 के किला नम्बर 14 वा 15 में ही ईंट भट्टा लगे होने का अंकन है। शेष किलों के बाबत् ईंट भट्टे के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की समस्त भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(4) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट को प्रादर्श नहीं करवाये गये न ही पटवारी के शपथ पर बयान करवाये गये। पत्रावली में बिना साक्ष्य लिये विरोधाभासी रिपोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–05–2024 का अवलोकन किया। उक्त आदेशिका में अभिलिखित किया गया है कि " राज. पैरोकार उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रतिवादी को पक्ष रखने हेतु बहुत समय दिया जा चुका है। प्रतिवादी अधिवक्ता प्रत्येक तारीख पेशी पर बार–बार अवसर लेकर प्रकरण निस्तारण में अकारण देरी करवा रहे है। प्रकरण में राजहित सीधा–सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए प्रकरण में शीघ्र निस्तारण न्यायोचित है। वादी/राज.पैरा का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली पर राज. पैरा को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 31–05–2024 को पेश हो।" उक्त आदेशिका के पठन मात्र से यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स जोकि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है, को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1980 पेज 48 बी का अवलोकन किया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि:– Held abinitio void since principles of natural justice, violated by not giving opportunity to non -applicants."

(5) प्रकरण में विधि प्रावधानों के अवलोकन से न्यायालय कके समक्ष यह तथ्य भी जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानों पर विचार किये बिना सीधे ही खातेदारी समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में केवल शर्त भंग करने की स्थिति में खातेदार काश्तकार को बेदखल करने तथा धारा 178 के तहत भूमि के काश्तकारी स्वरूप को क्षति पहुँचानें की स्थिति में डिक्री जारी होने के तीन माह के भीतर क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने का ही प्रावधान है। उक्त धाराओं के तहत बेदखली की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारों की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समाप्ती हेतु अलग से कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है तथा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व वादप्रक्रिया की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने से अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

(7) परिणामतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में वादप्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

(8) निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर